न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 164 / 2022

1 सुभाष पुत्र उमराव उम्र 24 साल जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 रामप्यारी पत्नी उमराव जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सिंहराज पुत्र रामजीलाल उम्र 75 साल जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
2 अनिता पुत्री उमराव पत्नी यशपाल जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद गोद तहसील नाननौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
3 कमलेश पुत्री उमराव पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद बैरास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
4 निलम पुत्री उमराव पत्नी पप्पु जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद बिलवा की ढाणी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।
5 मुकेश पुत्री उमराव पत्नी राजु जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद बैरास तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

6 रमेश पुत्री उमराव पत्नी दिनेश जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

7 शर्मिला पुत्री उमराव पत्नी नरेश जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद गोद तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

8 सुमन पुत्री उमराव पत्नी सुरेन्द्र जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी बिलवा की ढाणी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

9 ग्यारसी पुत्री रामजीलाल पत्नी भूपसिंह जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

10 नगेश पुत्र फुलादेवी

11 विरेन्द्र पुत्र फुलादेवी

जाति समस्त अहीर निवासीगण खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

12 मुकेश पत्नी राजपाल पुत्री फुला देवी जाति अहीर निवासी रिवासा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

13 सुमन पत्नी सुनिल कुमार पुत्री फुला देवी जाति अहीर निवासी अचिणा तहसील व जिला चरखी दादरी हरियाणा।

14 सुमन पत्नी लक्ष्मीनारायण पुत्रवधु फुलादेवी

15 प्रियंका पुत्री लक्ष्मीनारायण एवं माता सुमन देवी नवीरा फुला देवी नाबालिग जरिये माता संरक्षक सुमन देवी

16 दिक्षित पुत्र लक्ष्मीनारायण एवं माता सुमन देवी नवीरा फुलादेवी नाबालिग जरिये सरंक्षक सुमन देवी

17 मामनराम पुत्र प्रभाती लाल जाति समस्त अहीर निवासीगण खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी * सीकर *

18 रेशमी पत्नी बंशीधर जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.। हाल आबाद नांगल कालिया तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।

19 राजबाला पुत्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

20 लीलाधर पुत्र रोतास

21 शान्ति पत्नी रोतास

22 घीसा पुत्र किशनसहाय

23 शीशराम पुत्र रोतास

समस्त जाति अहीर निवासी मेघपुर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

24 उप पंजीयक महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज़.।

25 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा दावा उनवानी सिंहराज बनाम सुभाष वगैरह राजस्व वाद संख्या 83/2020 निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 18.10.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 20.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 83/2020 में पारित निर्णय दिनांक 18.10.22022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 139, 278, 315, 326, 580, 581, 588, 591, 596 वाके ग्राम मेघपुर तहसील बुहाना का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने राजस्थान टिनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। विचारण न्यायालय ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की लार्जर बैंच आरबीजे 2017 पेज 299 कैलाश बनाम रमेश के केस में प्रतिपादित सिद्धान्त की पालना नहीं की है। विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस की अनुपस्थिति में अपीलान्टस को बिना सूचित किये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रभाव में आकर गलत रूप से तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव साईकलोस्टायल परफोरमा पर तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट सुभाष के नाम से पहले क्रोस का निशान लगाया गया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा प्रदर्श ब पर तहसीलदार के हस्ताक्षरों के उपर सी.एस. लिखा हुआ है जो इस बात को साबित करना है कि तहसीलदार बुहाना मौके पर नहीं गये और स्वयं ने अपनी देखरेख में विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं करवाये। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श अ–1 के पैरा द्वितीय में नोटिस कमांक व दिनांक में कांट छांट व भिन्न हैडराईटिंग है। उक्त तमाम तथ्यों से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को नाजायज फायदा पहुंचाने की नियत से उपरोक्त कार्यवाही की गई और गलत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करवाया गया है। विचारण न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श अ–3 पर अंकित प्रविष्टी को सही मानने में कानूनी गलती की है। उक्त प्रदर्श अ–3 पर खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 हैक्टेयर के संबंध में दर्ज किये गये तथ्यों का कोई आधार न होते हुये भी विचारण न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण खसरा नम्बर 315 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में देकर तथ्य व विधि की भूल की है। खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भौतिक कब्जा कभी नहीं रहा। विभाजन प्रस्ताव के प्रदर्श अ–3 के अन्त में जो नोट लगाया गया है उसमें तो सिंहराज की हैडराईटिंग भिन्न है। आराजी हाल खसरा नम्बर 315 गांव की आबादी के नजदीक है और किमती जगह होने से विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के कब्जे को जानबुझकर नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री जारी की है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत ऐतराज विभाजन प्रस्ताव को अस्वीकार करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.07.2022 में मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन करने का आदेश पारित किया था और उसके बावजूद भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये एकपक्षीय विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2017 पेज 299 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विवादित भूमि के संदर्भ में वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बंटवारा कर के पूर्वज के समय से कर रखा है और उसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्सा व कब्जेकाश्त में निम्न खसरा नम्बर की भूमि है खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 1/2 भाग यानि 0.26 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 हैक्टेयर में से 1/2 भाग यानि 0.17 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 0.80 हैक्टेयर इस प्रकार से वादी बाहमी बंटवारे के अनुसार उपरोक्त भूमि को काश्त कर रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार बुहाना को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कहां गया। मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.07.2022 के अनुसार ही तैयार की गई है। खसरा नम्बर 315 रकबा 0.32 हैक्टेयर पर सम्पूर्ण पर वादी का कब्जा है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर मौका कमिश्नर तहसीलदार ही द्वारा तैयार किये गये है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी किये गये है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विवादित भूमि के संदर्भ में वादी व प्रतिवादीगण ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मौके पर बाहमी बंटवारा कर के पूर्वज के समय के कर रखा है और उसी अनुसार मौके पर काबिज़ काश्त चले आ रहे है। बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी के हिस्सा व कब्जेकाश्त में खसरा नम्बर 139 रकबा 0.52 हैक्टेयर में से 1/2 भाग यानि 0.26 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बर 278 रकबा 0.34 हैक्टेयर में से 1/2 भाग यानि 0.17 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा, खसरा नम्बरा 315 रकबा 0.32 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 232 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल 0.80 हैक्टेयर है। इस प्रकार से वादी बाहमी बंटवारे के अनुसार उपरोक्त भूमि को काश्त कर रहा है। वाद वर्णित कृषि भूमि का विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2022 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी जिसमें तहसीलदार बुहाना को मौका कमिश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। मौका रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.07.2022 के अनुसार ही तैयार की गई है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर मौका कमिश्नर तहसीलदार के ही द्वारा तैयार किये गये है। तहसील विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी किये गये है। विचारण न्यायालय ने आपत्ति प्राप्त कर बाद सुनवाई आपत्ति का निस्तारण कर विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इमसें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर